राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

रजि. कार्यालयः डी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल :rmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.9 ( )/आरएमएससी/भण्डार/मु.वाहन/2020–21/ 1317 दिनांक : 5/11/2020

ई–निविदा सूचना

डीजल वाहन की सेवा हेतु अनुबन्ध वर्ष 2020–21 (माह दिसम्बर, 2020 से नवम्बर, 2021 तक) 2019–20 के 12 माह के लिए

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन में मासिक/दैनिक आधार पर डीजल वाहन वर्ष 2020–21 (माह दिसम्बर, 2020 से नवम्बर, 2021 तक) 01 वर्ष के लिए वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 19.07.2018 एवं 28.02.2019 में उल्लेखित शर्तो के अनुसार अनुबन्ध के आधार पर वाहन किराए पर लेने के लिए व्यक्तिगत वाहन मालिक/फर्म/ट्रेवल एजेन्सियों से निम्नानुसार निविदाएँ आमंत्रित की जाती है:–

क्र.सं.	कार्य का विवरण	वाहनों के प्रकार	अनुमानित लागत (₹ लाखों में)	धरोहर राशि (₹ लाखों में)	ई–टेंडर शुल्क (₹)		प्री–बिड मीटिंग की तारीख और समय	निविदा प्रपत्र क्रय की प्रारम्भ तिथि व समय	निविदा प्रपत्र क्रय की अंतिम तिथि व समयय	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय	निविदा खोलने की अंतिम तिथि और समय(तकनीकी बिड)
					फार्म फीस	RISL फीस					
1	मासिक आधार पर 8 डीजल वाहन	इण्डिका विस्टा/ इण्डिगो/ बोलेरो	30.00	0.30	1000.00	1000.00	06.11.2020 02.30 PM	09.11.2020 01.00 PM	23.11.2020 12.00 PM	23.11.2020 03.00 PM	23.11.2020 05.00 PM
2	दैनिक आधार पर माँग के अनुसार	इण्डिका विस्टा/ इण्डिगो/ बोलेरा/ इनोवा									

ई–निविदा प्रपत्र वेबसाईट *"http://eproc.rajasthan.gov.in"* से डाउनलोड किया जा सकता है एवं वेबसाईट*"www.dipronline.org"*,*sppp.rajasthan.gov.in* एवं *rmsc.health.rajasthan.gov.in* पर देखा जा सकता है। ई–निविदा ऑनलाईन इलेक्ट्रोनिक्स फोरमेट में वेबसाईट *"http://eproc.rajasthan.gov.in"* पर ही प्रस्तुत की जाएगी। **ई–निविदा प्रपत्र शुल्क राशि ₹ 1000.00, RISL प्रोसेसिंग फीस राशि ₹ 1000.00 व बोली प्रतिभूति** (bid security) **के अलग–अलग डी.डी./बी.सी. दिनांक 23.11.2020 समय दोपहर 3.00 बजे तक निगम कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है अथवा** तीन पृथक–पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान (प्रपत्र–'श') द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से **निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या–2246002100024414 IFS Code PUNB0224600** में जमा करवाते हुए स्केन्ड प्रति (scanned copy) ई–निविदा के समय **23.11.2020** अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाईट rmsc.health.rajasthan.gov.inपर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए निविदा प्रपत्र शुल्क, **RISL प्रोसेसिंग फीस एवं बोली प्रतिभूति** (bid security) जमा करवाते हुए ई–निविदा के समय **23.11.2020** अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Generated Scanned copy Upload की जा सकती है।

विशेषाधिकारी, आरएमएससी

D:/Tender/Vehicle Tander Final 24.02.2015

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

रजि. कार्यालयः डी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल :rmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : rmsc.health.rajasthan.gov.in

वाहनों हेतु निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तें

1. निगम में 08 वाहन (07 डीजल कार एवं 01 बोलेरो) वर्ष 2020–21 में (माह दिसम्बर, 2020 से नवम्बर, 2021 तक) 01 वर्ष की अवधि के लिए मासिक/दैनिक अनुबन्ध पर लिए जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। वाहनों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
2. इच्छुक निविदादाता (व्यक्तिगत वाहन मालिक/फर्म/ट्रेवल एजेन्सी) अपनी निविदा निर्धारित निविदा प्रपत्र में ही प्रस्तुत करेगें। निविदा प्रपत्र कार्यालय से कार्यदिवसों में **दिनांक 23.11.2020 को दोपहर 1.00** बजे तक ₹ 500/– डी.डी/बैंकर चैक प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के पक्ष में प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र निगम की वेबसाइट rmsc.health.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर निर्धारित निविदा शुल्क के डी.डी/बैंकर चैक के साथ भी प्रस्तुत किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि वापस नहीं की जाएगी।
3. निविदाएँ सील बन्द लिफाफे में **दिनांक 23.11.2020 को अपराह्न 3.00 बजे तक** निगम कार्यालय में जमा कराई जा सकती है। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. **निविदा दो रूप में यथा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा में होगी। निविदादाता तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में प्रस्तुत करें तथा संबंधित लिफाफों पर क्रमशः "तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा" अंकित करें। तकनीकी निविदा (अनुसूची–I एवं II) एवं वित्तीय निविदा (अनुसूची–III) के बन्द लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सीलबन्द कर जमा करानी होगी। तकनीकी रूप से सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।**
5. तकनीकी निविदा के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करने होगेः–
    1. अमानत राशि ₹ 30,000 का डिमाण्ड ड्राफ्ट (बैंकर्स चैक जो कि प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉपोरेशन, जयपुर के पक्ष में देय हो)।
    2. भारत सरकार के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की ओर से जारी (GST) के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
    3. औसत वार्षिक टर्न ऑवर के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा जारी विवरण पत्र (गत तीन वर्षों का औसत ₹ 5.00 लाख होना चाहिए)।
    4. भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा जारी PAN नम्बर की प्रमाणित प्रति।

6. तकनीकी निविदाएं क्रय समिति के समक्ष अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा **दिनांक 23.11.2020 को सायं 5.00 बजे** खोली जाएगी जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
7. तकनीकी और वित्तीय रूप से सफल निविदादाता को ही अनुबन्ध का पात्र माना जाएगा।
8. निविदा प्रस्तुत करते समय निविदादाता को बोली प्रतिभूति (Bid Security) के रूप में **₹** 30,000/– की राशि प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के रूप में जमा करानी होगी। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि प्रत्याभूति राशि में समायोजित कर ली जाएगी तथा निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि निगम द्वारा लौटा दी जाएगी।
9. निविदाएँ विज्ञप्ति में वर्णित वाहनों के संबंध में ही होनी चाहिए। वाहनों का मॉडल 2015 से पूर्व का नही होना चाहिए तथा मासिक अनुबन्ध के आधार पर वांछित वाहनों के मेक/मॉडल के अलावा अन्य मेक/मॉडल की दरों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
10. निविदा की दरों का आधार – अनुबन्धित वाहन जो टैक्सी के रूप में परिवहन विभाग में पंजीकृत होगा, मय वाहन चालक की सेवाओं सहित लिया जाएगा। अनुबन्धित प्रति वाहन को निर्धारित मासिक दर में न्यूनतम 1500 किमी चालन मासिक दर के आधार पर, निविदा में स्वीकृत दर अनुसार भुगतान देय होगा।
11. साधारणतया अनुबंधित वाहन कार्य दिवस में प्रातः 9.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक कार्य करेगा परन्तु आवश्यकतानुसार उक्त समय से पूर्व व पश्चात् एवं राजपत्रित अवकाश को भी वाहन का **प्रयोग किया जा सकता है, जिसके लिये पृथक से कोई राशि देय नही होगी।**
12. उपर्युक्त न्यूनतम 1500 किमी प्रति माह चलने के उपरान्त वाहन यदि अतिरिक्त चलेगा तो उसका भुगतान निविदा में सफल निविदादाता के द्वारा दी गई दर के आधार पर प्रति किमी देय होगा।
13. वाहन उपलब्ध नहीं कराने/गैर हाज़िर रहने/खराब होने/ दुर्घटना होने पर तत्काल अन्य वाहन निविदादाता द्वारा (जिसकी स्थिति अनुबन्धित वाहन जैसी होगी) की तत्काल व्यवस्था की जाएगी। वाहन की व्यवस्था नही होने पर प्रतिदिन दर का 110 प्रतिशत काटा जाएगा, निगम द्वारा यदि वाहन बाजार से लिया जाएगा तो उसका आधार रिस्क एण्ड कोस्ट (Risk and Cost) होगा जिसकी पूर्ति निविदादाता के अनुबन्ध राशि से की जाएगी।
14. **वाहन के सभी प्रपत्र (बीमा, रजिस्ट्रेशन, प्रदूषण, वाहन चालक का लाईसेंस या अन्य जो कानूनन जरूरी है आदि) वाहन के साथ उपलब्ध होने चाहिए तथा उसका व्यय भार भी अनुबन्धकर्ता को ही वहन करना पड़ेगा।**

15. एक बार वाहन उपलब्ध कराने के पश्चात् वाहन चालक का चयन होने पर साधारणतः वाहन चालक केवल अपरिहार्य कारणों से ही बदला जा सकेगा/सकेंगे व वाहन चालक को ही अनुबन्धित वाहन के चालक के स्थान पर भेजेगा। **वाहन चालक को निगम द्वारा एक निर्धारित गणवेश में उपस्थिति देनी होगी। निर्धारित गणवेश (uniform) का व्यय सफल निविदादाता को ही वहन करना होगा।** वाहन चालक पूरी संविदा अवधि में एक या दो हो सकते है। कुल वाहनों के वाहन चालकों की सूची देगा जिन्हें बार--बार नहीं बदला जाएगा। वाहन चालक के पास सक्षम परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी की हुई वैध अनुज्ञप्ति (Licence) होनी चाहिए जिसकी वैधता अनुबन्ध के पूर्ण समय तक होनी चाहिए। वाहन चालक स्थिरचित का शारीरिक रूप से पूर्ण सक्षम व्यक्ति होना चाहिए। जिसका व्यवहार मर्यादित एवं आचरण गरिमापूर्ण होना चाहिए।
16. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सफल निविदादाता को नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करना पड़ेगा। अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अनुबन्धकर्ता को निविदा राशि का 2.5 प्रतिशत बतौर कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) के रूप में प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा जमा करानी होगी। यह राशि अनुबन्ध के सन्तोषजनक निष्पादन होने की स्थिति में अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने पर दो माह उपरान्त वापिस लौटा दी जाएगी। इस राशि पर निगम द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
17. करार के पूर्ण किए जाने के लिए स्टाम्प पेपर का व्यय निविदादाता द्वारा संदत्त किया जाएगा और निगम को करार का स्टाम्प शुद्ध प्रतिलेख निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा।
18. जो निविदाएँ निर्धारित निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं की जाएगी उन पर विचार नहीं किया जाएगा।
19. निविदा प्राधिकारी न्यूनतम प्राप्त दर को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है एवं किसी भी निविदा या उसके भाग को बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम दर प्राप्त एजेन्सी के अलावा इसी दर पर अन्य एजेन्सी से वाहन लिए जाने हेतु निविदा प्राधिकारी स्वतंत्र है।
20. निविदादाता को रजिस्ट्रेशन एवं (GST) का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा ।
21. निविदादाता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करेगा।
22. ए.सी. वाहन के लिए क्या अतिरिक्त दर होगी, अलग से अंकित किया जाए।
23. सफल निविदादाता प्रत्याभूति राशि आदेश प्राप्ति के सात दिवस के अन्तर्गत जमा कराएगा व अनुबन्ध करेगा। यदि इस अवधि में वह अनुबन्ध नहीं करेगा तो उसकी बोली प्रतिभूति (Bid Security) जब्त कर दूसरे निविदादाताओं को अवसर दिया जाएगा। प्रक्रिया में विलम्ब हेतु उसे उत्तरदायी माना जाएगा।
24. अनुबन्धकर्ता एक रजिस्टर का संधारण करेगा, जिसमें वाहन की माँगों के सम्बन्ध में लिखेगा व अतिरिक्त वाहन तुरन्त उपलब्ध कराएगा।

25. मासिक वाहनों के अतिरिक्त वाहन जो समय–समय पर विभिन्न श्रेणियों के होंगे। समय पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।

26. मासिक अनुबन्ध पर जो भी वाहन अनुबन्धित किये जाएँगे उन्हे बार–बार नहीं बदला जाएगा एवं आरएमएससी कार्यक्षेत्र एवं उसके बाहर के राज्यों /शहरों में सक्षम स्वीकृति लेकर उनका उपयोग किया जा सकेगा जिसका भुगतान पूर्व निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जा सकेगा।

27. वाहन की लॉग बुक चालक के पास रहेगी तथा प्रतिदिन वाहन का संचालन कार्यालय अवधि में उपयोग की ली गई वाहन का किमी की परिचालन की गणना संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन लॉग बुक में प्रविष्टियाँ दर्ज करानी होंगी एवं वाहन का घर से आने–जाने का किमी देय नहीं होगा । **प्रत्येक माह की 5 तारीख तक गत माह का बिल लॉग बुक के आधार पर प्रस्तुत करेगा। यदि उक्त अवधि में बिल प्रस्तुत नही किए गए तो समय पर भुगतान की जिम्मेदारी निगम की नहीं होगी।**

28. किसी भी प्रकार की वाहन की टूट–फूट होने या दुर्घटना होने पर निगम उत्तरदायी नहीं होगा। इसकी समस्त जवाबदेही वाहन मालिक की होगी। कोई भी न्यायिक /श्रम नियम/अन्य नियम की पालना का उत्तरदायित्व भी वाहन मालिक का होगा।

29. अनुबंधित वाहन के मरम्मत पर जाने पर निगम को सूचित करना होगा एवं दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा, जो अनुबंधित वाहन के समान अथवा बेहतर हो।

30. वाहन में लगा मीटर सील किया हुआ होना आवश्यक है, जो कि बिना किसी अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के नहीं खोला जाएगा। इसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी करने पर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जाएगा तथा जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

31. मासिक रूप से अनुबन्धित वाहन को निगम के निर्देशानुसार उपयोग करना होगा ।

32. निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताए अनुबंधित वाहन को हटा सकता है। जिसकी सूचना सम्बन्धित फर्म को भिजवा दी जाएगी।

33. यह वाहन अनुबंध निविदा पर अनुबन्ध दिनांक से प्रभावी होगा तथा एक वर्ष के लिए मान्य होगा। दोनो पक्षों की आपसी सहमति से अनुबंध की अवधि को तीन माह तक बढ़ाया जा सकता है।

34. टोल टैक्स व एयरपोर्ट या पार्किंग स्थल के शुल्क राज्य से बाहर जाने पर अन्य राज्य में लगने वाला कर, निगम द्वारा देय होंगे परन्तु प्रथमतः यह टैक्स अनुबन्धकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

35. वाहन चालक को जयपुर से बाहर की यात्रा पर रात्रि विश्राम शुल्क (Night halting charge) वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार देय है।

36. टी.डी.एस., सरचार्ज तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अन्य कर मासिक बिल में से काट कर नियमानुसार सम्बन्धित निगम/संस्था में जमा कराए जाएँगे जिसकी रसीद निर्धारित प्रपत्र में निगम द्वारा वाहन मालिक को दी जाएगी। यह समस्त कर राशि, स्वीकृत राशि में से ही काटी जाएगी एवं अलग से देय नहीं होगी तथा (GST) यदि लागू हो तो निगम द्वारा अतिरिक्त दिया जाएगा।

37. वाहन के संबंध में किसी प्रकार की गैर कानूनी अनियमितता पाए जाने पर निगम तुरन्त प्रभाव से वाहन को हटा सकेगा। जिसके संबंध में वाहन मालिक को कोई हर्जाना देय नहीं होगा तथा कार्य सम्पादन प्रत्याभूति (Performance Security) जब्त कर ली जाएगी।

38. मासिक आधार पर जो वाहन राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन हेतु रखा जाएगा उसका उल्लेख अनुबन्ध में किया जाएगा और ये वाहन किसी दूसरे उपयोग मे नहीं लिए जाएँगे। यदि इन वाहनों का उपयोग किसी दूसरे उपयोग में लेते हुए पाया गया तो अनुबन्ध समाप्त कर प्रत्याभूति राशि व बची राशि जब्त कर ली जाएगी व उसका समस्त उत्तरदायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा।

39. **राजकीय नियमानुसार वाहनों पर निगम का नाम अनुबन्धकर्ता द्वारा लिखवाया जाएगा।**

40. बोली प्रतिभूति (Bid Security) का समपहरण निम्न स्थितियों में किया जा सकेगा :–

    1. जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को परिवर्तित (मोडिफिकेशन) कर देता है।
    2. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता।
    3. जब आदेश दिए जाने के पश्चात् नियत समय में प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता।
    4. जब निर्धारित समय में अनुबधिंत वाहनों की सेवाओं की व्यवस्था प्रारम्भ करने में विफल रहता है।
    5. अन्य कारण

41. प्रत्याभूति राशि को निम्न परिस्थितियों में समपहरण किया जा सकता है':–

    1. जब संविदा के किसी निबधंन और शर्तों को भंग किया जाता हैं।
    2. जब निविदादाता सन्तोषप्रद रूप से सेवाएँ देने में विफल रहता है।
    3. प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। समय के सम्बन्ध में निगम का निर्णय अन्तिम रहेगा।

42. निविदा प्राधिकारी प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, डी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर है।
43. न्यायिक विवाद का क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय ही होंगे।
44. किसी भी विवाद मे प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा।

विशेषाधिकारी, आरएमएससी

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
रजि. कार्यालयः डी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल :rmsc@nic.in
CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : rmsc.health.rajasthan.gov.in

अनुसूची–I

कार्य की अनुमानित लागत –₹ 30.00 लाख
बोली प्रतिभूति (bid security)–₹ 30000/–

प्रपत्र 'अ' तकनीकी बिड
ऑनलाईन ई–निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि– 23.11.2020 समय 3.00 बजे तक
ई–निविदा प्रपत्र शुल्क–₹ 1000.00

ई–निविदा प्रपत्र
डीजल वाहन की सेवा हेतु अनुबन्ध वर्ष 2020–21 (माह दिसम्बर, 2020 से नवम्बर, 2021 तक) 2019–20 के 12 माह के लिए

प्रेषकः

1.	निविदा प्राधिकारी का नाम	प्रबंध निदेशक, आरएमएससी
	पता	स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर (राजस्थान)–302005
	दूरभाष नं.	0141–2228060 फेक्स नं. 0141–2228065

निविदा संदर्भ क्रमांक :एफ.9 ( )/आरएमएससी/भण्डार/मु.वाहन/2020–21/ दिनांक

I.

1.	निविदादाता फर्म का नाम	
2.	संबद्ध व्यक्ति का नाम	
3.	पंजीकृत कार्यालय का पता	
4.	दूरभाष नं./मोबाईल नं.	
5.	फैक्स नं.	
6.	जीएसटी नं.	
7.	PAN No.	

II. प्रस्तुत दरें अनुबन्ध की अवधि से आगामी एक वर्ष तक प्रभावी होगी। यदि सफल निविदादाता की सेवाएँ सन्तोषप्रद पाई जाती है तो इन दरों व अनुबन्ध को आपसी सहमति से सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार 3 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।

III. राशि जमा कराने का विवरणः–

	जमा का विवरण (बैंक का नाम सहित)	संख्या	दिनांक	राशि (₹)
1.	डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक (अमानत राशि)			

2.	डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक (टेंडर फीस)			
3.	डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक (RISL फीस)			

IV. टर्न ओवर प्रमाण पत्र (प्रपत्र 'स') संलग्न है।

हस्ताक्षर निविदादाता
फर्म मय मुहर

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

रजि. कार्यालयः डी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल :rmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : rmsc.health.rajasthan.gov.in

अनुसूची–II

जयपुर दिनांक ....

तकनीकी निविदा

1.	निविदादाता का रजिस्ट्रेशन न. व वर्षः व्यक्तिगतः– फर्मः– ट्रेवल एजेन्सीः–	
2.	निविदादाता के द्वारा सरकारी विभागों एवं निजी संस्थाओं को दर अनुबन्ध पर उपलब्ध कराए गए वाहनों की संख्या मय वाहन नम्बर (वर्ष अनुसार) एवं अनुबन्ध की प्रति	
3.	औसत वार्षिक टर्न ऑवर के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा जारी विवरण पत्र (गत तीन वर्षों का औसत ₹ 2.50 लाख होना चाहिए)।	2017–2018 2018–2019 2019–20
4	निविदादाता के पास उपलब्ध गाडियों की संख्या जो निविदादाता के नाम रजिस्टर्ड है या लिखित में अनुबन्धित है, रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें। a. स्वयं के नाम/अनुबन्धित • वाहन संख्या • वाहन का मेक/मॉडल • मेक/मॉडल का वर्ष b. ट्रेवल एजेन्सी से अनुबन्धित वाहन • वाहन संख्या • वाहन का मेक/मॉडल • मेक/मॉडल का वर्ष	
5	सम्पर्क सूत्र व्यक्ति के नम्बर	दूरभाषः– मोबाईलः–
6.	निविदादाता के मुख्यालय एवं शाखाओं का स्थापित स्थान	
7.	कार्यालय में संचार व्यवस्था (टेलीफोन, फैक्स, मोबाईल)	
8.	ड्राइवर के नाम मय लाईसेंस नम्बर एवं उनकी संख्या	
9.	क्या फर्म का एक्साईज विभाग के साथ पंजीकरण है– यदि हाँ, तो सेवा कर पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।	
10.	आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	

हस्ताक्षर निविदादाता
फर्म मय मुहर

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

रजि. कार्यालयः डी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल :rmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : rmsc.health.rajasthan.gov.in

अनुसूची–III

वित्तीय निविदा

सामान्य वित्तीय शर्तेः–

1. वाहन दो प्रकार से अनुबन्धित होंगे। **प्रथम मासिक आधार पर एवं द्वितीय दैनिक आवश्यकता के आधार पर।**
2. मासिक आधार पर वाहन की दर एक माह में न्यूनतम 1500 किमी चालन करने को सम्मिलित करते हुए देगा, क्योंकि 1500 किमी तक एक माह में चलने पर कोई अतिरिक्त राशि अनुबन्धकर्ता को देय नही होगी।
3. 1500 किमी के पश्चात् वाहन को प्रति किलोमीटर के आधार पर अतिरिक्त दर दी जाएगी। यह दर वित्तीय निविदा में न्यूनतम एवं सफल निविदादाता की दर के आधार पर होगी।
4. तकनीकी स्तर पर सफल निविदादाता की दरें 1500 किमी की एवं अतिरिक्त किमी की दरों के आधार पर जिसकी न्यूनतम दरें होगी को सफल निविदादाता घोषित किया जाएगा।
5. ए.सी. वाहन हेतु क्या अतिरिक्त दर होगी, अंकित की जाए।

(क) श्रेणी के वाहन जो– जिन्हें मासिक आधार पर अनुबन्धित किया जाना है।

मासिक आधार पर अनुबन्ध की दर

(वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 19.07.2018 एवं 28.02.2019 में उल्लेखित शर्तो के अनुसार)

वाहन का नाम (मेक सहित) कार	(क) श्रेणी–मासिक आधार पर दरें				(क) श्रेणी–दैनिक आधार पर दरें	
	दर प्रतिमाह (1500 किमी) (₹)		1500 किमी के अतिरिक्त प्रति किमी के लिए दर (₹)		जयपुर मुख्यालय से बाहर प्रतिकिमी के आधार पर वाहन उपलब्ध कराने की दर नॉन ए.सी. (₹)	जयपुर मुख्यालय से बाहर प्रतिकिमी के आधार पर वाहन उपलब्ध कराने की दर ए. सी. सहित (₹)
	नॉन एसी	एसी सहित	नॉन एसी	एसी सहित		
	अंकों में		अंकों में			
Hatchback/Sidan / SUV Car						
Bolero/Petroling Vehicle						

हस्ताक्षर निविदादाता
फर्म मय मुहर

D:/Tender/Vehicle Tander Final 24.02.2015

(ख) श्रेणी के वाहन जिन्हें— प्रतिदिन के प्रति किलोमीटर के आधार पर अनुबन्धित किया जाना है।

प्रतिदिन एवं प्रति किलोमीटर की दरें

मासिक आधार पर अनुबन्धित वाहनों के अतिरिक्त निगम को अपनी प्रतिदिन की आवश्यकता पड़ने पर दैनिक आधार पर अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने की शर्तें:—

1. मासिक दर पर अनुबन्धित वाहनों के अतिरिक्त दिन प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त वाहनों की आवश्कता पड़ती है। जिन्हें केवल प्रतिदिन व प्रति किलोमीटर की दर के आधार पर सफल निविदादाता को निगम को तत्काल उपलब्ध कराना होगा।
2. यह वाहन सफल निविदादाता को अधिकतम 2 घण्टें में निर्धारित स्थान पर उपलब्ध कराने होंगे। यदि 2 घण्टे में यह वाहन अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाएँगे तो इन वाहनों/वाहन को बाजार से मँगवा लिया जाएगा और उस पर अतिरिक्त व्यय होगा तो उसे अनुबन्धकर्त्ता द्वारा वहन किया जाएगा।
3. यह वाहन यदि जयपुर मुख्यालय से बाहर जाएगा तो 250 किमी तक न्यूनतम चालन की गणना की जाएगी एवं 250 किमी के पश्चात् जो प्रति किमी दर निविदा में स्वीकृत हुई है उसके आधार पर दी जाएगी।
4. इस वाहन के चालक को जयपुर मुख्यालय से बाहर की यात्रा पर नाईट हॉल्टिंग चार्जेज वित्त अनुभाग द्वारा समय—समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार देय होंगे।
5. वाहन पर आरोपित टोल—टैक्स, अन्तर्राज्यीय टैक्स इत्यादि, यदि भारित होता है तो वह देय होगा।
6. अन्य सभी सामान्य शर्तें जो ऊपर दी गई है वह इस पर भी लागू होंगी।
7. ए.सी. वाहन हेतु क्या अतिरिक्त दरें होगी ? अंकित करें।

'AUTION : USE "FCMBR" MENU OPTION IN FINACLE INSTEAD OF "TM"

Bank Copy

punjab national bank

DIST. NO.

Branch	
Institute Name	Rajasthan Medical Services Corporation, Jaipur
Institute ID	RMSCJ - A/c No. 2246002100024414

Date of Deposit DD MM YY

DETAILS OF THE SUPPLIER

Supplier Name	
Tender Ref. No.	
Type of Deposit	Select any one out of - Tender Fees/EMD/SD/Tender Processing fees/Others
Mobile No.	

Cash Deposit:

Denomination	₹	Ps
1000 *		
500 *		
100 *		
50 *		
20 *		
10 *		
5 *		
Coins *		
Total		

Cheque Deposit:

Chq No	Date of Chq	Name of Bank	₹	Ps

Total fee payable ₹
Commission ₹ 0 0 0 0 0 - 0 0
Total amount ₹

Amount (in words): ₹

Name of the Depositor

Signature

Address for communication

For Bank use only

Acknowledgement

Cashier/Officer

प्रपत्र 'श'

Customer Copy

punjab national bank

DIST. NO.

Branch
Institute Name Rajasthan Medical Services Corporation, Jaipur
Institute ID RMSCJ - A/c No. 2246002100024414

Date of Deposit DD MM YY

DETAILS OF THE SUPPLIER
Supplier Name
Tender Ref. No.
Type of Deposit Select any one out of - Tender Fees/EMD/SD/ Tender Processing fees/Others
Mobile No.

Cash Deposit:
Denomination ₹ Ps
1000 *
500 *
100 *
50 *
20 *
10 *
5 *
Coins *
Total

Cheque Deposit:
Chq No Date of Chq Name of Bank ₹ Ps

Total fee payable ₹
Commission ₹ 0 0 0 0 0 - 0 0
Total amount ₹

Amount (in words): ₹

Name of the Depositor
Signature
Address for communication

For Bank use only

Acknowledgement

Cashier/Officer

D:/Tender/Vehicle Tender Final 24 02 2015